भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
(एसबीआर अनुभाग)

परिवहन भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001

सं. एसवाई-13017/4/2017, भाग3

दिनांक 13 अक्तूबर, 2020

अधिसूचना

विषय: पोतनिर्माण/ पोत मरम्मत के संबंध में खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री के साथ जुड़ी) उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता)।

संदर्भ: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की दिनांक 16.09.2020 की अधिसूचना सं.पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II)।

आय और रोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने तथा भारत में विनिर्माण और सामानों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के दिनांक 15.06.2017 और 28.05.2018 के आदेश सं.- पी-45021/2/2017-ई.ई.II के तहत सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 जारी किया था। उपर्युक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, पोतनिर्माण/ पोत मरम्मत वस्तुओं के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री हेतु इस मंत्रालय ने दिनांक 31 अगस्त, 2018 को अधिसूचना (1) जारी की थी।

2. अभी हाल ही में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने दिनांक 04.06.2020 तथा तदुपरांत दिनांक 16.09.2020 को एक संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 जारी किया है। संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 के अनुसरण में, पोतनिर्माण/ पोत मरम्मत वस्तुओं के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री हेतु इस मंत्रालय की दिनांक 31 अगस्त, 2018 की अधिसूचना (1) को वापस लिया जाता है।

3. दिनांक 16.09.2020 के संशोधित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 में पिछले आदेश के 'स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की बजाय 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' / 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' / 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की शब्दावली का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, यह मंत्रालय विभिन्न वस्तुओं के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री को अधिसूचित नहीं करेगा और इसकी बजाय 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' हेतु न्यूनतम 50% ओर 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' हेतु न्यूनतम 20% वस्तुओं के लिए सभी रूप से एक समान होगा।

4. इस अधिसूचना के उद्देश्य से, (i) विभिन्न प्रकार की खरीद के लिए 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता/ 'श्रेणी-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/ गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की योग्यता, (ii) खरीद वरीयता, (iii) छोटी खरीदों के लिए छूट, तथा (iv) खरीद वरीयता की सीमा से संबंधित विभिन्न शर्तों और प्रावधानों की परिभाषायें वही रहेंगी जो ऊपर संदर्भित, डीपीआईआईटी के दिनांक 16.09.2020 के आदेश में हैं।

5. इस अधिसूचना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नौवहन महानिदेशक डीजीएस नोडल संगठन होगा।

6. इसके अलावा, डीजीएस द्वारा दिनांक 08.11.2018 के आदेश के तहत गठित 'तकनीकी समिति' कार्य जारी रखेगी तथा अन्य बातों के साथ-साथ (क) खरीद संबंधित शिकायतों के मामले में यादृच्छिक आधार पर स्व-घोषणाओं तथा लेखापरीक्षा/लेखाकारों के प्रमाणपत्रों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करेगी। (ख) उपर्युक्त् शिकायतों के निपटान हेतु प्रशासनिक लागत के लिए शुल्क निर्धारित करेगी तथा आवश्यकतानुसार शुल्कों का संशोधन करेगी।

7. क्रय इकाइयों, जैसा कि डीपीआईआईटी के दिनांक 16.09.2020 के आदेश में परिभाषित किया गया है, को सलाह दी गई है कि वे डीपीआईआईटी के उक्त आदेश तथा इस संबंध में डीपीआईआईटी/ इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इसके उपरांत जारी किये जाने वाले आदेशों का पूरी तरह अनुपालन करते हुए अपने निविदा दस्तावेजों का संशोधन करें।

8. पोर्टल पर अपलोड करने से पहले सरकारी संगठन के संबंधित खरीद अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए सभी निविदाओं में पीपीपी-एमआईआई आदेश का अनुपालन किया गया है।

9. अन्य सभी शर्तें, जो इस अधिसूचना में निर्धारित नहीं की गईं है, दिनांक 16.09.2020 के डीपीआईआईटी के आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-II) में दी गई अनुसार होंगी।

10. इसे माननीय पोत परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

दशरथ प्रसाद
13/10/2020

(दशरथ प्रसाद)
निदेशक
दूरभाष सं.: 011-23321672
ई-मेल: prasad.dashrath@gov.in

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग
2. सचिव (समन्वय), केंद्रीय सचिवालय
3. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग
5. भारत के महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक
6. सचिव, डीपीआईआईटी, सार्वजनिक खरीद आदेश, 2017 के कार्यान्वयन हेतु स्थायी समिति के अध्यक्ष
7. संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, सार्वजनिक खरीद आदेश, 2017 के कार्यान्वयन हेतु स्थायी समिति के सदस्य संयोजक
8. व्यय विभाग
9. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
10. अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
11. अध्यक्ष, डीजीएलएल, नोएडा
12. सभी महापत्तन न्यासों के अध्यक्ष
13. एससीआई, सीएसएल, डीसीआई, एचडीआरई लि. के सीएमडी
14. सचिव/ अध्यक्ष, भारतीय शिपयार्ड संघ
15. सीईओ, आईएनएसए

प्रतिलिपि 1) सचिव के निजी सचिव 2) अपर सचिव के निजी सचिव, 3) सभी संयुक्त सचिव/ वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/ सलाहकार के निजी सचिव 4) गार्ड फाइल